न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प महेन्द्रगढ़
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–148/2017 रे0वाद
अर्न्तगत धारा:–53 आर0टी0एक्ट

अनवान

उनवान प्रकरण

1. फुलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड़), निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिलाभीलवाडा।

वादीया––––

बनाम

1. उमाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह उदावत (राठौड़), निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण––––

–::निर्णय ::–

दिनांक 31.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीयां ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महेन्द्रगढ, तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 406 रकबा 0.67 है., 407 रकबा 0.33 है. कुल किता 2 रकबा 1 है0. हैं। जिसमें वादीयां का 1/2 हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादीयां सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादीयां एवं प्रतिवादीयां संख्या 1 अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 14.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 08.01.2018 को वाद प्रारम्भिंक डिकी किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीयां एवं वादीयां के अधिवक्ता को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिकी जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

निरन्तर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

–:आदेश:–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया फूलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड) और प्रतिवादीयां संख्या 1 उमा कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह उदावत (राठौड) निवासी महेन्द्रगढ के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. फूलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड) सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
406/1	0.34
407/1	0.16
कुल किता 2	**कुल 0.50 है.**

2. उमा कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह उदावत (राठौड) सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
406/2	0.33
407/2	0.17
कुल किता 2	**कुल 0.50 है.**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प महेन्द्रगढ़

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–148 / 2017 रे0वाद
अर्न्तगत धारा:–53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1.फुलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड़), निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादीया–––

बनाम

1. उमाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह उदावत (राठौड़), निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण––––

निर्णय

दिनांक: 31.05.2018

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 चुण्डावत, की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि:–

न्यायहित में वादी का वाद पत्र अन्तर्गतधारा 53 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया संख्या 01 के इस आशय के जारी की जाती हैं कि ग्राम महेन्द्रगढ़ , पटवार क्षैत्र महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्यां एक के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावें।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीया संख्या एक के वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया फूलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड) और प्रतिवादीयां संख्या 1 उमा कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह उदावत (राठौड) निवासी महेन्द्रगढ के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. फूलकंवर पत्नि थानसिंह उदावत (राठौड) सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
406 / 1	0.34
407 / 1	0.16
कुल किता 2	**कुल 0.50 है.**

2. उमा कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह उदावत (राठौड) सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
406 / 2	0.33
407 / 2	0.17
कुल किता 2	**कुल 0.50 है.**

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)